28.3.23	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.5.23..को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
02-05-23	पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पचांयत पीथास मे पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हुकमीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इ...
हुक्म की तामील
में जारी हुए

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

राजस्थान –सरकार

...लय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

...धिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

...ख्या – 167/22 प्रा.पत्र

... जगदीश S/o रामचन्द्र गुर्जर निवासी-पीथास तहसील-माण्डल हाल निवासी ...-मकान-15 पटेल नगर भीलवाड़ा तहसील व जिला-भीलवाड़ा (रा.)

–प्रार्थी.

बनाम

1– श्री मिठू S/o कजोड़ गुर्जर निवासी-पीथास तहसील-माण्डल [वगैरा] (मुताबिक प्रा.पत्र राजस्व)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 02.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........पीथास.........पटवार हल्का.........पीथास.........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 2601, 2602, 2603.......कुल किता.........03.........रकबा.........0.3162.........हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्र...ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.10.22.........को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीथास.........पटवार हल्का.........पीथास.........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2601, 2602, 2603 कुल किता.........03.........रकबा.........0.3162.........हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.........पीथास को.........500/-.........रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023